मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

निविदा प्रपत्र

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0 प्र0 संचालित जिला कटनी की ग्राम पंचायतों का वर्ष 2007–08 एवं 08–09 का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है ।

अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक
जिला पंचायत कटनी

कार्यालय अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला पंचायत कटनी

निविदा सूचना

क्रमांक 6027/6028/राग्रारोगास्कीम/जिपं/07 कटनी ,दिनांक 20.12.07

1 – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म0 प्र0 संचालित जिला कटनी की समस्त ग्राम पंचायतों का वर्ष 07–08 एवं 08–09 का सामाजिक आंकेक्षण किया जाना है ।

1– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म0 प्र0 के प्रावधान अनुसार जिला पंचायत के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक माह एक जनपद पंचायत की रेंडम पद्धति से चयनित 7 ग्राम पंचायतों (वर्ष में कुल 84 ग्राम पंचायतों का) का वर्ष 07–08 एवं 08–09 का ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित सभी योजना का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है । सामाजिक अंकेक्षण हेतु इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाओं जिनको तीन साल का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन का मध्यप्रदेश में कार्य का अनुभव हो ऐसी संस्थाओं से दिनांक 11.01.2008 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है । जिस संस्था की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसको महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण माडयूल के अनुसार संस्था में सामाजिक अंकेक्षण के पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

2– निविदा प्रपत्र दिनांक 11.01.2008 को अपरान्ह 1.00 बजे तक रूपये 500/– (रूपये पांच सौ मात्र) नगद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में भुगतान कर इस कार्यालय से क्रय किया जा सकता है । बैंक ड्राफ्ट अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत कटनी को देय तथा भारतीय स्टेट बैंक / स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर की शाखा पर भुगतान योग्य होना चाहिए । निविदा प्रपत्र रू0 50/– अतिरिक्त भुगतान कर डाक से भी मंगाए जा सकते हैं । निविदाएं डाक द्वारा देर से पहुंचने या ना प्राप्त होने के लिए जिला पंचायत कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा ।

3– निविदा प्रपत्र बेवसाईट http:/www.katni.nic.in/ से भी डाऊन लोड किये जा सकते हैं । ऐसी स्थिति में निविदा प्रपत्र का मूल्य निविदा प्रपत्र की कंडिका 2 में दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करना होगा ।

4– पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र रू0 20000/– (रूपये बीस हजार मात्र) बयाना राशि (ई. एम. डी.) जो डी. डी. या एफ. डी. आर. के रूप में हो के साथ इस कार्यालय में दिनांक 11.01.2008 अपरान्ह 3.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए (**बैंकर्स चेक मान्य नहीं होगा**) । निविदाएं उसी दिन सायं 4.00 बजे खोली जाएगी । तकनीकी रू‍प से सक्षम पाये गये निविदाकारों को दिनांक 15.01.2008 को दोपहर 12.00 बजे जिला पंचायत कार्यालय में अपनी कार्ययोजना का प्रस्तुतकरण करना होगा । तकनीकी तथा प्रस्तुतकरण में सक्षम पाये गये निविदाकारों के वित्तीय आफर दिनांक 15.01.2008 को 3.00 बजे अपरान्ह में जिला पंचायत कार्यालय में खोले जायेंगे ।

5– अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में देखा जा सकता है तथा उसी के अनुरूप निविदाएं प्रस्तुत की जावे ।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
रा. ग्रा. रो. गा. स्कीम – म.प्र.
जिला पंचायत कटनी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म0 प्र0 संचालित जिला कटनी की समस्त ग्राम पंचायतों का वर्ष 07–08 एवं 08–09 का सामाजिक आंकेक्षण किया जाना है ।

निविदादाताओं के मार्गदर्शन हेतु निर्देश

2. निविदा आमंत्रण सूचना में दी गई जानकारी के अतिरिक्त निम्न जानकारी/ निर्देश निविदादाताओं की जानकारी हेतु दिए जाते हैं । निविदा इन्हीं निर्देशों के अनरूप तैयार कर प्रस्तुत की जाय ।

2.1 निविदाएं केवल निर्धारित निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत की जाय ।

2.2 निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से निविदा सूचना कमांक 6027/6028 दिनांक 20.12.07 में दर्शायी गई दिनांक तक कय किए जा सकते हैं ।

2.3 निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 500/– है जिसका भुगतान नगद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में किया जा सकता है । बैंक ड्राफ्ट अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक जिला पंचायत कटनी को देय एवं भारतीय स्टेट बैंक / स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर बैंक की कटनी शाखा पर भुगतान योग्य होना चाहिए।

2.4 यदि निविदा प्रपत्र डाक से मंगाना है तो रू0 50/– उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र के मूल्य के साथ भुगतान करना होगा ।

2.5 यदि निविदा प्रपत्र बेवसाईट से डाउन लोड किया गया है तो निविदा प्रपत्र का मूल्य कंडिका 2.3 में दिए गए निर्देशानुसार बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करते समय एक पृथक लिफाफे में रखकर देना होगा । लिफाफे पर ''निविदा प्रपत्र का मूल्य'' लिखा होना चाहिए ।

2.6 निर्धारित अमानत राशि (इएमडी) बैंक ड्राफ्ट अथवा एफडीआर के रूप में प्रस्तुत की जाय (**बैंकर्स चेक मान्य नहीं होगा**) । बैंक ड्राफ्ट कंडिका 3 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप तैयार कराया जाय । एफडीआर ''अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक जिला पंचायत कटनी ए / सी (निविदादाताओं)'' के नाम होना चाहिए । बिना अमानत राशि के निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी ।

2.7 एक स्वयं सेवी संस्था द्वारा एक ही निविदा प्रस्तुत की जाय । ऐसी दो स्वयं सेवी संस्थाएं जिनमें एक भी सदस्य कामन है पृथक–पृथक निविदाएं प्रस्तुत

नहीं कर सकेगी । यदि ऐसा करते हैं तो दोनों निविदाएं अमान्य कर दी जाएगी ।

2.8 निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक से 90 दिन होगी । इस बीच निविदादाता द्वारा आफर वापस होने पर ईएमडी जप्त कर ली जाएगी तथा भविष्य में निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे ।

2.9 निविदादाता का आयकर में पंजीयन होना चाहिए ।

2.10 स्वयं सेवी संस्था पंजीयन उपरान्त 05 वर्ष से कार्यरत हो तथा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन आदि का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होकर ग्रामीण विकास विभाग में कम से कम रू0 दो लाख के कार्य किए गए हों । इस हेतु ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय विभाग / स्थानीय निकाय का कार्य प्रदाय आदेश एवं कार्य पूर्णता उपरान्त जारी कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रपत्र II के साथ संलग्न की जावे ।

2.11 निविदादाता संस्था का पिछले तीन वर्ष का सी. ए. द्वारा अंकेक्षित वार्षिक वित्तीय लेखा की प्रमाणित प्रति संलग्न की जावे ।

2.12 निविदाएं निम्नानुसार प्रस्तुत की जाय :—

(1) लिफाफा (अ) में ई एम डी

(2) लिफाफा (ब) तकनीकी ऑफर

(3) लिफाफा (स) वित्तीय ऑफर

(4) लिफाफा (द) निविदा प्रपत्र का मुल्य (यदि निविदा प्रपत्र बेवसाईट से डाऊन लोड किया गया है)

उपरोक्त सभी लिफाफे एक बड़े लिफाफे के अंदर रखकर सीलबंद कर प्रस्तुत किए जाय जो अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत कटनी को संबोधित हो । लिफाफे पर भेजने वाले का नाम, पता तथा अंदर रखे लिफाफों का विवरण अंकित होना चाहिए । लिफाफे पर निविदा सूचना क्रमांक, दिनांक व ''ग्राम पंचायतों के सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु निविदा'' स्पष्ट रूप से लिखा जाय ।

निविदा खोलने की प्रकिया

3. निविदाएं निविदादाताओं की उपस्थिति में निविदा सूचना में दी गई तिथि पर खोली जाएगी । सर्वप्रथम लिफाफा ''द'' यदि है तो खोला जाएगा । निविदा

प्रपत्र का मूल्य सही व निर्धारित प्रारूप में पाये जाने पर लिफाफा ''अ'' खोला जायेगा अमानत राशि – ईएमडी सही पाए जाने पर ही लिफाफा ''ब'' तकनीकी विड खोली जाएगी ।

3.1 तकनीकी विड के माध्यम से निविदादाताओं को कार्य संपादन हेतु समक्ष पाए जाने पर ही उसका वित्तीय आफर निर्धारित तिथि पर खोला जाएगा जो निविदादाता तकनीकी रूप से सक्षम नहीं पाए जाएंगे उनकी ईएमडी व वित्तीय ऑफर बगैर खोले वापस कर दिए जायेंगे ।

3.2 तकनीकी क्षमता के मूल्यांकन हेतु प्रपत्र – I व प्रपत्र II में पूर्ण जानकारी दी जाय ।

3.3 अमानत राशि की वापसी

जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी उनकी अमानत राशि एक सप्ताह में वापस कर दी जायेगी ।

निविदा की शर्ते

4.1 जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत की जाएगी उसे स्वीकृत सूचना पत्र के दिनांक से 10 दिन के अन्दर रू0 20000/– (बीस हजार मात्र) प्रतिभूति राशि जमा कर अनुबंध करना होगा । ऐसा न करने पर ई एम डी राशि जप्त कर ली जायगी । प्रतिभूति राशि एफडीआर के रूप में जो अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत कटनी को देय हो के रूप में स्वीकार की जायगी । निविदादाता द्वारा प्रतिभूति राशि जमा करने के पश्चात ईएमडी वापस कर दी जायगी । निविदादाता (एजेंसी) के अनुरोध पर ईएमडी प्रतिभूति राशि के विरूद्ध समायोजित की जा सकती है ।

4.2 प्रतिभूति समस्त कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के पश्चात ही वापस की जाएगी । एजेंसी द्वारा कार्य अधूरा छोड़ने / संपादित न करने की स्थिति में प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी तथा ठेकेदार भविष्य में निविदा देने हेतु अयोग्य माना जाएगा ।

4.3 कार्य की समयावधि – एजेंसी द्वारा समस्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना होगा । विलंब होने पर रू0 50/– (रूपये पचास मात्र) प्रति ग्राम पंचायत प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति देय होगी ।

4.4 एजेंन्सी द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्य संपादित न करने अथवा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने पर 15 दिन का नोटिस देकर अतिरिक्त

जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत कटनी को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा । अनुबंध समाप्ति की स्थिति में एजेन्सी की प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जायेगी ।

4.5 निविदा 2 वर्ष के लिए मान्य होगी ।

4.6 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा चयनित 07 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण निविदादाता को एक माह में करना होगा ।

कार्य का विवरण

5. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म0प्र0 संचालित जिला कटनी के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों का वर्ष 07–08 एवं 08–09 का ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत के सहयोग से किया जाना है । सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक ग्राम पंचायत का पृथक – पृथक किया जावेगा । सामाजिक अंकेक्षण के समय पंचायत द्वारा गठित सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जानी है । अंकेक्षण के पूर्व समिति के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण एजेंसी को देना होगा । अंकेक्षण उपरान्त ग्राम सभा की कार्यवाही की दो प्रति जिला पंचायत को उपलब्ध करानी होगी। एक प्रति ग्राम पंचायत को प्रदाय की जावेंगी ।

5.1 तैयार किए जाने वाले अभिलेखों का विवरण –

प्रत्येक ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने के उपरांत ग्राम सभा की कार्यवाही की एक प्रति ग्राम पंचायत एवं दो प्रतियां जिला पंचायत को उपलब्ध करानी होगी ।

5.2 तकनीकी आधार –

एजेंसी की तकनीकी / व्यावसायिक क्षमता के आंकलन हेतु जानकारी निविदा के प्रपत्र – I व प्रपत्र II में दी जाय । तकनीकी आधार के साथ समस्त निविदा प्रपत्र (वित्तीय ऑफर छोड़कर) प्रस्तुत किया जाय ।

5.3 वित्तीय आफर –

वित्तीय आफर संलग्न प्रपत्र IV में प्रस्तुत किया जाय । वित्तीय आफर में प्रत्येक ग्राम पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण की दर सुस्पष्ट की जाय ।

वित्तीय आफर में पेपर का मूल्य एवं समस्त प्रकार के व्यय एवं कर सम्मिलित रहेंगे ।

5.4 निविदा स्वीकृति –

बिना कोई कारण बताए निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा । इस संबंध में कोई प्रत्राचार नहीं किया जायेगा ।

5.5 भुगतान –

निविदादाता को कम से कम एक जनपद पंचायत की 7 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण संतोषजनक रूप से करने पर किया जावेगा ।

वाद का निपटारा –

एजेंसी व अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को जनपद पंचायत के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद / वाद उत्पन्न होने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला कटनी को निराकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा जो अपना निर्णय 30 दिन में देंगे जो दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

प्रपत्र - I

सामान्य जानकारी

1.	स्वंय सेवी संस्था का नाम :	
2.	स्वंय सेवी संस्था का कंस्टीटयूशन :	
3.	पंजीयन नं. (कृपया पंजीयन आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें) :	
4.	स्थायी पता :	
5.	टेलीफोन नं. :	
6.	फेक्स :	
7.	ई–मेल :	
8.	फर्म का स्थानीय आफिस का पता :	
9.	टेलीफोन नं. :	
10.	फेक्स :	
11.	ई–मेल :	
12.	फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, टेलीफोन नं. आदि :	
13.	फर्म के बारे में विस्तृत जानकारी :	
14.	आयकर चुकता प्रमाण पत्र :	
15.	पिछले तीन वर्षो की Balance sheet, profit & loss a/c संलग्न करें अथवा पूंजी उपलब्धता के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करें :	
16.	फर्म के पास फोटोग्राफ/प्रिन्टस आदि हेतु उपलब्ध संसाधनों की विस्तृत जानकारी :	
17.	फर्म के पास प्रस्तावित कार्य हेतु उपलब्ध अमले की विस्तृत जानकारी :	
18.	प्रस्तावित कार्य हेतु कार्य योजना प्रस्तुत करें :	
19.	क्या एजेन्सी के पास जनपद पंचायत मुख्यालय पर कार्यालय स्थापित करने तथा आवश्यक उपकरण व स्टाफ रखने के संसाधन उपलब्ध है। :	

नोट :– सरल क्रं. 15 से 19 तक की जानकारी तैयार कर पृथक से संलग्न करें।

<u>प्रपत्र - II</u>

फर्म/निविदादाता का पूर्व कार्य अनुभव

कृपया पिछले 5 वर्षो में इस प्रकार के किये गये कार्य का विवरण दें। (प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)

विभाग/क्लाईट का नाम	कार्य का विस्तृत विवरण	कार्यादेश क्रमांक / दिनांक	अनुबंधित लागत	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि	कार्य वास्तव में कितने समय में पूर्ण किया गया	कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र क0 / दि0 एवं जारी कर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम

स्थान –
दिनांक –

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम

पता

मोबाइल नं.

टेलीफोन नं

<u>प्रपत्र - III</u>

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते है कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गयी जानकारी सत्य है।

2. मैं/हम अपने कार्य का पूर्ण निष्ठा के साथ एवं राष्ट्रहित को सर्वपरि माने हुए पूर्ण करेंगे तथा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेंगे जिससे परियोजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ें।

स्थान –

दिनांक –

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम

पता

मोबाइल नं.

टेलीफोन नं.

<u>प्रपत्र - IV</u>

<u>वित्तीय ऑफर</u>

प्रति,

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला पंचायत ....
मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के
....

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम संचालित जिला .... की समस्त ग्राम पंचायतों का वर्ष .... का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने हेतु।

संदर्भ : आपकी निविदा सूचना कं. .... दि...........................

उपरोक्त निविदा सूचना के संदर्भ में निविदा सूचना की शर्तो के अनुसार जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के वर्ष ....के योजना के प्रारंभ से निविदा स्वीकृति माह के सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु प्रति ग्राम पंचायत रूपयें ....(रूपये ....) का वित्तीय ऑफर करता हूँ।

मैं निविदा प्रपत्र में दिए गए विवरण एवं शर्तो के अनुसार समस्त कार्य संपादित करूंगा।

हस्ताक्षर
निविदादाता / एजेन्सी का नाम / सील

(निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाये)

अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक .... को अति जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत .... जिला .... एवं .... (एजेन्सी का नाम व पता) द्वितीय पक्ष के बीच संपादित किया जाता है। यह कि प्रथम पक्ष द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम एवं ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं के वर्ष .... के जिला पंचायत के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के वर्ष ....निविदा स्वीकृति के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण हेतु किया जाता हैं। उक्त कार्य के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा इस कार्य हेतु प्रस्तुत निविदा नीचे दिये गये विवरण अनुसार स्वीकृत की गई हैं जिसके साक्ष्यस्वरूप यह अनुबंध निष्पादित किया जाता है।

1. निम्न अभिलेख इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
   - क. निविदा प्रपत्र जिसमें कार्य का पूर्ण विवरण एवं शर्ते आदि दी गई है।
   - ख. एजेन्सी द्वारा प्रपत्र I व II में प्रस्तुत जानकारी।
   - ग. एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय ऑफर।
   - ध. प्रथम पक्ष द्वारा जारी स्वीकृति पत्र
2. सेवा का संक्षिप्त विवरण

सेवा का विवरण	कार्य की समयावधि	भुगतानयोग्य राशि
निविदा प्रपत्र की शर्तो के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित अन्य सभी योजनाओं का निविदा प्रपत्र की शर्तो के अनुसार वर्ष ....के जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण किया जाना हैं, अंकेक्षण के पूर्व पंचायत की सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है । अंकेक्षण के समय निगरानी समिति के सदस्यों की उपस्थिति भी आवश्यक रूप से रहनी चाहिए । अंकेक्षण उपरांत ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण एक–एक प्रति में जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत एवं दो प्रति अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक को उपलब्ध कराना।	.... (समयावधि भरी जाये)	रू0 .... (जिसमें सभी प्रकार के ब्यय व कर सम्मिलित है)

3. विभाग द्वारा किए जाने वाले भुगतान के बदले एजेन्सी अनुबंधित कार्य निर्धारित शर्तो एवं मानकों के अनुसार संपादित करेगी तथा विभाग द्वारा निर्धारित दर पर समय–2 पर भुगतान किया जायगा।

उपरोक्त के साक्ष्य में दोनों पक्षों द्वारा आज दि................................ को यह अनुबंध संपादित किया गया।

गवाहों के नाम, पते व हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर)
एजेन्सी का नाम / सील

1. ....
   ....

(हस्ताक्षर)
मु.का.अ.
जिला पंचायत कटनी
(रा0ग्रा0रो0गा0स्कीम–म0प्र0)

2. ....
   ....